अनुदान संख्या 19 – रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 19–MINISTRY OF DEFENCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*26,00*	*1,49*	*–24,51*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*21,50*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4674,02,00	4922,94,00	4892,92,62	–30,01,38
पूरक	Supplementary	248,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,90,46
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		385,82,00	246,05,46	–139,76,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				136,43,42

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *6.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052'' - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृश अंश में, समग्र बचतें (3001.38 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 24892.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.6.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2052"–"Secretariat–General Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3001.38 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grant of Rs.24892.00 lakhs obtained in February, 2004 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:–

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037" सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	29200.00	27000.00	25551.85	–1448.15
पु.	R.	–2200.00			
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat –General Services				
मू.	O.	47758.00	49195.86	48602.03	–593.83
पु.	R.	1437.86			
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	388969.00	414244.92	413729.66	–515.26
पू.	S.	24892.00			
पु.	R.	383.92			

(I) मुख्य शीर्ष "2075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय" के अंतर्गत 388969.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24892.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 413861.00 लाख रु. कर दिया गया था, तथापि, जो कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करने, लघु निर्माण कार्यों के प्रस्ताव के समाशोधन में विलंब होने और स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण 131.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under Major Head "2075"–"Canteen Stores Department–Directorate of Canteen Services" – the original provision of Rs.388969.00 lakhs was augmented to Rs.413861.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24892.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.131.34 lakhs–due to availment of voluntary retirement by the employees, delayed clearance of proposal for minor works and delayed receipt of sanctions.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" - "निवारक एवं अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत 3648.15 लाख रु. की बचत (29200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरे पर प्रतिबंध लगे होने, सूचना प्रौद्योगिकी मामलों

(II) Under Major Head "2037"–"Preventive and other functions–Coast Guard Organisation" – saving of Rs.3648.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29200.00 lakhs) was due to restrictions on foreign tours,

को स्वीकृति प्रदान न किए जाने, नौ सेना पोतों का कम प्रचालन किए जाने, उपस्करों तथा अतिरिक्त पुर्जों आदि की सुपुर्दगी में विलंब होने के कारण मरम्मत कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने और कम यात्रा किए जाने, स्टॉफ के कुछ स्थायी स्थानांतरण को आस्थगित किए जाने, कम्प्यूटर तथा उससे संबंधित उपस्कर की खरीद के लिए संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने तथा प्रत्याशा से कम महंगाई भत्ते को स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2052'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सचिवालय - रक्षा विभाग''- 284.09 लाख रु. की बचत (4043.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्श सेवा समन्वय (मास्को) की अदायगी के लिए बिलों की प्राप्ति न होने, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं के लिए रखी गई निधियों का उपयोग न किए जाने, नए तैयार अधिगृहीत स्कंध के संबंध में नीति को सुनिश्चित न किए जाने और प्रत्याशा से कम संख्या में आईडीएसए(इडसा) के सम्मेलन आयोजित किए जाने और समुद्रपार यात्रा से संबंधित बामर एंड लॉरी से बिलों के प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य कार्यालय - रक्षा सम्पदा संगठन''- 287.52 लाख रु. की बचत (4386.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जांच समिति के समाशोधन लंबित रहने तक रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''अन्य कार्यालय - रक्षा लेखा विभाग'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1402.34 लाख रु. का अधिक व्यय (38703.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टाफ को संशोधित वेतन तथा भत्तों के बकाया की अदायगी किए जाने, रेल/सड़क/हवाई किरायों की लागत में वृद्धि होने, सूचना प्रौद्योगिकी स्वचलनों की सामान्य कार्यालय मदों की कीमतों में वृद्धि होने, किराए में वृद्धि होने, किराए के भवनों का अधिक अभिग्रहण किए जाने, विभागीय कैंटीन स्टाफ के वेतन में बढ़ोतरी होने, सम्मेलनों और सार्वजनिक संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खेल कार्यकलापों के लिए अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं-

non–sanctioning of Information Technology cases, less operations of Naval Ships, non–sanctioning of Refits programme due to delay in delivery of equipments and spares etc. and reduced travel, deferment of certain permanent transfer of staff, non–finalisation of contract for purchase of computers and peripherals and less dearness allowance sanctioned than anticipated.

(III) Under Major Head "2052"– savings occurred under the following heads:–

(A) "Secretariat–Department of Defence"– saving of Rs.284.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4043.00 lakhs) was due to non–receipt of bills for payment of counsellor coord (Moscow), non–utilisation of funds earmarked for Information Technology related projects, non–crystallization of policy in respect of newly raised Acquisition wing, less number of conferences of IDSA than anticipated and non–receipt of bills from Balmer & Lawrie relating to overseas travel.

(B) "Other Offices – Defence Estate Organisation"–saving of Rs.287.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4386.00 lakhs) was due to non–filling up of vacant posts pending Screening Committee clearance.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2052"–"Other Offices–Defence Accounts Department"– excess of Rs.1402.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.38703.00 lakhs) was due to payment of arrears of revised pay and allowances to the staff, increase in cost of Rail/Road/Air fare, hike in prices of general office items of information technology automations, hike in rent, occupation of more hired buildings, enhancement in salaries of Departmental Canteen's staff, conducting more tours for conferences and public seminars/workshops, training programmes and sports activities.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:–

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4047'' राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services					
मू.	O.	35000.00				
				23097.00	22923.81	–173.19
पु.	R.	–11903.00				
मुख्य शीर्ष ''4075'' विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services					
मू.	O.	1500.00				
				150.00	150.46	+0.46
पु.	R.	–1350.00				
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing					
मू.	O.	1125.00				
				780.48	669.56	–110.92
पु.	R.	–344.52				

(I) 1.20 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''7615'' - ''विविध कर्ज'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.20 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7615"– "Miscellaneous Loans".

(II) मुख्य शीर्ष ''4047'' - ''सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत 12076.19 लाख रु. की बचत (35000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिस्थापन स्कीम और मध्यम दूरी तक निगरानी रखने वाले विमान की अग्रनीत स्कीमों सहित प्रदूषण नियंत्रण पोत की नई स्कीम के अधीन परियोजनाओं को स्वीकृत न किए जाने तथा नौ सेना/संचार उपस्करों के उन्नयन की धीमी प्रगति होने आदि के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047"–"Customs–Coast Guard Organisation"–saving of Rs.12076.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35000.00 lakhs) was due to non–sanctioning of the projects under new scheme of Pollution Control Vessel including replacement scheme and carry over schemes of Medium Range Surveillance Aircraft and slow progress in up–gradation of Naval/ communication equipments.

(III) मुख्य शीर्ष "4075" - "कैंटीन स्टोर विभाग - निर्माण" के अंतर्गत 1349.54 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे देश भर में विभिन्न केंद्रों पर भांडागारों के निर्माण कार्य की स्वीकृति न मिलने/विलंब से आरंभ किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निर्माण"- 339.51 लाख रु. की बचत (995.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "शहरी आवास - अन्य व्यय - कैंटीन स्टोर विभाग"- 115.93 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं के शुरू होने में विलंब होने से संबंधित विभिन्न केन्द्रों पर विभाग को रक्षा भूमि का अंतरण न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4075"–"Canteen Stores Department–Construction"–saving of Rs.1349.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non–sanctioning/delay in commencement of construction works of Warehouses at various stations throughout the country.

(IV) Under Major Head "4216"–savings occurred under the following heads:–

(A) "Government Residential Buildings–Other Housing–Construction"–saving of Rs.339.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.995.00 lakhs); and

(B) "Urban Housing–Other Expenditure–Canteen Stores Department"–saving of Rs.115.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non–transfer of defence land at several stations to department concerned owing to delay in commencement of projects.